भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या *7*

जिसका उत्तर दिनांक 02.02.2023 को दिया जाना है

परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियां

7 **श्री नारायण दास गुसा :**

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों का मानचित्रण किया है जो परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियों के उच्च जोखिम में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जोखिमों, निवारक कार्रवाइयों और सुरक्षा तैयारियों के संबंध में सक्षम प्राधिकरियों को चिन्हित किया गया है और उन्हें सूचित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए उपयोग की गई निधियों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी-2019) के अनुसार, परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) और गृह मंत्रालय (एमएचए) देश में नाभिकीय और विकिरणकीय आपात स्थितियों की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए केन्द्रक (नोडल) एजेंसियां हैं। डीएई ने देश भर में 25 डीएई विकिरण आपात अनुक्रिया केंद्र स्थापित किए हैं। भारतीय पर्यावरण विकिरण मॉनीटरन नेटवर्क (आईईआरएमओएन) के तहत 540 स्थलों पर विकिरण मॉनीटर स्थापित किए गए हैं ताकि भारतीय क्षेत्र में पृष्ठभूमिक विकिरण स्तर में किसी भी वृद्धि का मॉनीटरन किया जा सके। यह एक सतत प्रक्रिया है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियामक मानकों अनुसार डीएई की संरक्षा संस्कृति का अभिन्न अंग है।

* * * * *